वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015

(दिनांक 20/10/2016 तक संशोधित)

औद्योगिक भूमि के आवंटन हेतु पात्रता –

1. निम्न उद्यमियों/इकाइयों को नवीन उद्योग की स्थापना, स्थापित इकाई के विस्तार एवं दर्शाई गई गतिविधियों/उपयोग के लिए भूमि, भवन/शेड का आवंटन किया जा सकेगा :-

(i) वृहद उद्योग इकाई ।

(ii) सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाई।

(iii) व्यवसायिक , आवासीय , वेयर हाऊसिंग आदि प्रयोजन।

(iv) उद्योग अनुषांगिक प्रयोजन ।

(v) भारत शासन/राज्य शासन अथवा उनके उपक्रमों द्वारा स्थापित की जाने वाली औद्योगिक/सेवा/आनुषंगिक प्रयोजन इकाई।

(vi) नियमों के संलग्न **"परिशिष्ट-ए"** में वर्णित अति प्रदूषणकारी एवं खतरनाक श्रेणी के उद्योगों को सामान्यतः भूमि आवंटित नहीं की जावेगी, किन्तु इस श्रेणी के उद्योगों को उन्हीं औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि, भवन/शेड आवंटन की पात्रता होगी, जिनमें ऐसे उद्योगों हेतु पृथक जोन चिन्हित किये गये हैं।

(vi) नियमों के संलग्न **"परिशिष्ट-बी"** में वर्णित गतिविधियाँ औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन की पात्रता नहीं रखेंगी ।

* (vii) उद्योग संवर्धन नीति, 2014 अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को घोषित विशेष पैकेज में परिभाषित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयॉं ।

** (viii) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति अंतर्गत इकाईयॉं ।

परिशिष्ट – ए

अति प्रदूषणकारी एवं खतरनाक श्रेणी के उद्योग

1. अकार्बनिक रसायन उद्योग –

(i) खनिज अम्ल, क्षार निर्माण उद्योग।

(ii) अम्ल प्रतिक्रिया से निर्मित खनिज लवण।

(iii) कार्बनडाय सल्फाईड, अल्ट्रा मेरिन ब्लू क्लोरिन, हाइड्रोजन, अमोनिया गैस एवं ब्लीचिंग पावडर निर्माण।

2. कार्बनिक रसायन उद्योग –

(i) डाई व डाई स्टफ इंटरमिडिएट निर्माण

(ii) सिंथेटिक, प्लास्टिक, जैसे– पोलिथिन, पी. व्ही. सी रेजिन, नॉयलान, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक डिटरजेंट।

(iii) कीट नाशक, फफूंद नाशक एवं खरतपतवार नाशक।

(iv) कोलतार डिस्टीलेशन प्रक्रिया से निर्मित होने वाले उत्पाद।

(v) आर्गनिक साल्वेंट्स, क्लोरिनेटेड मिनरल्स मिथेनॉल, एल्डीहाईड, पायरिडिन, आयडोफार्म, क्लोरोफार्म, बिटा नेप्थाल एवं मिथेलेटेड स्प्रिट।

(vi) कम्प्रेस्ड एवं लिक्वीफाईड गैसेस।

3. पेट्रोलियम उत्पाद –

(i) कच्चे तेल की रिफायनिंग, प्रोसेसिंग एवं क्रेकिंग, पेट्रोलियम जैली, पेट्रोलियम ईथर, नेफ्था क्रेकिंग।

(ii) कार्बन ब्लेक व अन्य निर्माण।

(iii) पेट्रोलियम कोक।

(iv) लुब्रिकेटिंग एवं फ्यूल आईल्स।

(v) ईल्यूमिनेटिंग आईल्स आदि।

4. धातु कर्म उद्योग –

उद्योग जिनमें सिलटरिंग, स्मेलटिंग, ब्लास्ट फर्नेस, रिकॉस्टिंग ऑफ ओर सल्फाइड, ऑक्साइड या मिश्रण जैसे कार्य किये जाये।

5. रेडियोएक्टिव तत्व निर्माण।

6. पेपर, पेपर पल्प, बोर्ड निर्माण, न्यूज प्रिंट निर्माण।

7. अल्कोहल डिस्टलरीज।

8. शक्कर कारखाना।

9. जहरीले पदार्थ जैसे – साइनाइड्स, आर्सेनिक यौगिक, बेरियम यौगिक, पायरोगेलिक एसिड।

10. इलेक्ट्रो थर्मल इण्डस्ट्रीज जैसे– केल्शियम कार्बाइड, फास्फोरस, एल्युमिनियम डस्ट, पेस्ट, कॉपर जिंक एलाय आदि।

11. थर्मल पावर इण्डस्ट्रीज ।

12. शासन द्वारा समय-समय पर घोषित अन्य प्रकार के उद्योग ।

&&&

परिशिष्ट - बी

औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटन हेतु प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची

1 गौवंश मांस से संबंधित कोई भी गतिविधि।

2 पशुवध ¼कसाईखाना½।

3 शहरी अपशिष्ट/मृत पशु एवं अपशिष्ट एकत्रीकरण एवं संग्रहण।

4 कबाडियों द्वारा कॉच, पोलिथीन, प्लास्टिक, पी. व्ही. सी., नॉयलान, रबर, लोहा, लकड़ी जैसी वस्तुओं का संग्रहण एवं ग्रेडिंग।

5 रेत संग्रहण एवं ग्रेडिग।

6 ईट भटटा एवं चूना भटटा।

7 खुली सेंड ब्लास्टिंग।

8 ऑटो मोबाईल स्टॉक यार्ड।

9 शहरी एवं मृत पशु अपशिष्टों का प्रसंस्करण एवं उससे खाद बनाना आदि।

10 विस्फोटक एवं फायर वर्क्स निर्माण व संग्रहण।

11 चारकोल निर्माण।

*12 स्टोन क्रेशर, फ्लाईऐश ब्रिक्स, आरा मशीन] कॉन्क्रीट मिक्चर प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट

(* राजपत्र दिनांक में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ 16-9/2015/बी-ग्यारह, भोपाल दिनांक 20.10.2016 की कण्डिका क्रमांक 21 द्वारा संशोधित)

13 शासन द्वारा समय-समय पर घोषित अन्य गतिविधियॉं।